

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/99/378035/0016/
 प्रति,

दिनांक: ई-साइन अनुसार

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
 भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
 क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
 लिंक रोड नं. 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- जिला नीमच के अंतर्गत कालिया खो योजना के निर्माण हेतु **22.26** हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/IRRIG/123146/2021)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र दिनांक 11/11/2024

--00--

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाही गयी जानकारी का उत्तर आवेदक विभाग/ वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त किया जाकर निम्नानुसार प्रस्तुत है।

क्रं	प्रकरण में ली गयी आपत्तियां	आपत्तियों का उत्तर
1	KML file of 36.00 ha degraded forest land proposed for additional CA shall be submitted/uploaded.	प्रकरण में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित बिगड़े वनक्षेत्र के स्थल की KML file को आनलाईन भाग-1 में बिन्दु क्रमांक L(3) में अपलोड की गयी है।
2	Clear recommendation of revised proposed diversion area 22.26 ha from CCF (T), Nodal Officer & State Govt (Part-III, IV, & V) shall be submitted & uploaded.	प्रकरण में 22.26 हे० वनभूमि व्यवर्तन की संशोधित अनुशंसा भाग- III, IV एवं V में की जाकर पोर्टल पर अपलोड की गयी है, सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।
3	Catchment Area Treatment Plan shall be submitted/uploaded.	आवेदक विभाग द्वारा Catchment Area Treatment Plan की प्रति को आनलाईन भाग-1 में अतिरिक्त जानकारी की टेबल के बिन्दु क्रमांक 15 में अपलोड किया गया है।
4	The State Govt. may provide clarity on the number of trees to be felled in the proposal out of total enumeration i.e enumeration of FRL-449, FRL-2-262 and FRL-4-364.	वनमंडलाधिकारी, नीमच ने अपने पत्र दिनांक से लेख किया है, कि मौके गणना अनुसार FRL स्तर पर 449 वृक्ष, FRL-2 मीटर स्तर पर 262 वृक्ष एवं FRL-4 मीटर स्तर पर 364 वृक्ष पाये गये हैं।

अतः उपरोक्तानुसार अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।
 संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

Signed by Hari Shankar
Mohanta

Date: 17-01-2025 13:08:28

(एच.एस.मोहनता)
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
 मध्यप्रदेश, भोपाल

- मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) उज्जैन वृत्त उज्जैन, मध्यप्रदेश।
 - वनमण्डलाधिकारी, (सा०) वनमण्डल नीमच, म०प्र०।
 - कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।



कार्यालय
वनमण्डलाधिकारी,
नीमच (म.प्र.)

E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in

Phone No. (07423) 226605

क्रमांक / तकनीकी / 2024 / 7394
प्रति,

नीमच, दिनांक- 10/12/24

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू-प्रबंध)
भोपाल, म.प्र.

विषय:- जिला नीमच के अंतर्गत कालिया खो योजना के निर्माण हेतु 22.26 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/IRRIG/123146/2021)
संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ-3 / 99 / 0016 / 10-11 / 16 दिनांक 21.11.2024.

विषयांकित प्रकरण में निवेदन हैं, कि आपके द्वारा संदर्भित पत्र से वांछित भारत सरकार द्वारा जारी EDS के 04 बिन्दुओं के संबंध में जानकारी निम्नानुसार तैयार की जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

बिन्दु क्रमांक	विवरण	जानकारी
01	KML file of 36.00 ha degraded forest land proposed for additional CA shall be submitted/uploaded.	के. एम.एल. फाईल संलग्न प्रेषित हैं।
02	Clear recommendation of revised proposed diversion area 22.26 ha from CCF (T), Nodal Officer & State Govt (Part-III, IV, & V) shall be submitted & uploaded.	बिन्दु वरिष्ठ कार्यालय से संबंधित हैं।
03	Catchment Area Treatment Plan shall be submitted/uploaded.	कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान आवेदक संस्था द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
04	The State Govt. may provide clarity on the number of trees to be felled in the proposal out of total enumeration i.e enumeration of FRL-449, FRL-2-262 and FRL-4-364.	प्रकरण में मौके पर गणना अनुसार FRL स्तर पर 449 वृक्ष, FRL-2 स्तर पर 262 वृक्ष एवं FRL-4 स्तर पर 364 वृक्ष होना पाये गये हैं। वृक्ष कटाई का कार्य वरिष्ठ निर्देशों के अनुरूप किया जावेगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(एस.के.अटोदे)

I.F.S.

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल नीमच

क्रमांक / तकनीकी / 2024 / 7395
प्रतिलिपि:-

नीमच, दिनांक:- 10/12/24

01. वनसंरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
02. कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग नीमच, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल नीमच

PART III

S.N.	DESCRIPTION	FOLLOW UP
14	Whether site where the forestland involved is located has been inspected by concerned conservator of forest (Yes/No). If yes the date of inspection & observation made in form of inspection note to be enclosed.	Agree with Inspection of DFO Neemuch.
15	Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part-B and the recommendation of Deputy Conservator of Forests.	Yes
16	Specific recommendation of concerned Conservator of Forest for acceptance or otherwise the proposal with detailed reasons.	Forest land required is bare minimum for the project. Hence the proposal recommended for acceptance.

(M.R. Baghel)
I.F.S

Conservator of Forest
Ujjain Circle, Ujjain

भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए

16	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए।	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच द्वारा कालिया खो जलाशय योजना के निर्माण हेतु प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन द्वारा की गई अनुसंधान अनुसार वनमण्डल नीमच की 22.26 हे० वनभूमि को आवेदक विभाग को उपयोग पर देने की अनुसंधान की जाती है।
----	--	--

स्थान :- भोपाल


H.S. MOHANTA
APCCF (I/M)
Bhopal

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच द्वारा कालिया खो जलाशय योजना के निर्माण हेतु प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त, उज्जैन तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा की गई अनुसंधान अनुसार वनमण्डल नीमच की 22.26 हे० वनभूमि को आवेदक विभाग को उपयोग पर देने की अनुसंधान की जाती है।
----	---	----	---

Signed by

Kshitij Kumar

Date: 31-12-2024 17:57:41

OFFICER ON SPECIAL DUTY

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग